

राजस्थान सरकार



रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र

क्रमांक पाली/155/2002-03

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमति हंजाबाई गौशाला

समिति, वेडा जिला पाली का

राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 (राजस्थान अधिनियम संख्या 28, 1958) के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण आज किया गया ।

यह प्रमाण पत्र मेरे हस्ताक्षरों और कार्यालय की सील से आज

दिनांक चौदह माह फरवरी सन् दो हजार तीन

को पाली में दिया गया ।

P. 155/2003
(रमेश लाल राठी)
रजिस्ट्रार संस्था
पाली-बाबाड़ (पच.)



कमल प्रिन्टिंग रानी फोन नं. 223159 पाली